THE

Dated...25.11.2014

PARLIAMENTARY DEBATES

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

OFFICIAL REPORT

HOUSE OF THE PEOPLE

Tuesday, 17th November, 1953

The House met at Half Past One of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

QUESTIONS AND ANSWERS

(*See Part I*)

2-29 P.M.

PAPER LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER INDIAN AIRCRAFT ACT.

The Minister of Communications (Shri Jagjivan Ram): I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 5 of the Indian Aircraft Act, 1934, a copy of the Ministry of Communications Notification No. 10-A /34-50, dated the 6th September, 1952, together with an explanatory note. [*Placed in Library, See* No. S-151/53.]

REHABILITATION FINANCE ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL)—contd.

Mr. Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the Rehabilitation Finance Administration Bill. I believe the motion for third reading was moved yesterday.

The Deputy Minister of Finance (Shri A. C. Guha): I moved yesterday for the passing of the Bill, as amended.

Mr. Speaker: I shall place the motion before the House.

Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

I will now make one thing clear before the discussion proceeds, so that we may not have to waste any time and I may not have to invite the attention of hon. Member to what is relevant during the third reading. The Bill was duly considered. The clauses were considered. The only scope of discussion on the third reading motion is to discuss the amendments adopted by the House—not threadbare, but their general effect. It is also open to Members to object to the Bill being passed and in that case, they might shortly state the reason why the Bill should be rejected. The object of the third reading is not to repeat the arguments, not to treat it as an opportunity for those Members who have not spoken, to speak at length as if they were speaking on the consideration motion or during the clause-by-clause stage. These are the restrictions. It is very difficult for the Chair to limit the discussion quite within the scope of relevancy but Members will bear in mind what I have stated.

Sardar Hukam Singh: (Kapurthala-Bhatinda): Can we not refer to the amendments that ought to have been accepted and the effect that they would have had on the Bill if they had been accepted?

Mr. Speaker: That would be widening the scope too much and reopening the consideration as a whole.

Shri Gidwani: (Thana): If an assurance had been given by the Minister, may I ask whether for the purpose of clarification we could say something?

Mr. Speaker: It depends upon what clarification the hon. Member wants, but the best course is to have that clarification somewhere else rather than have it here now.

लाला अचिन्त राम (हिसार) : अध्यक्ष जी, तीसरी रीडिंग के मौके पर मैं अपनी समझ के मुताबिक वही बात कहूंगा जिस बात का मुझे खतरा है कि जैसा बिल पास हुआ है अगर उस पर अमल किया जायगा तो कौन सी खराबी हो सकती है :

आज मुझे यह पहला मौका मिला है जब कि मैं सच्चे दिल से गवर्नमेंट को इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि उस ने बड़ी उदारता से बड़ी फराखदिली से इस बिल के अन्दर रुपया मुहैया किया है । पांच करोड़ रुपया मुहैया कर के फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने बड़ी उदारता दिखाई है । लेकिन जैसा बिल पास हुआ है उस में मुझे एक ही खतरा है कि अगर इस बिल पर अमल किया गया, तो जैसी कि मेरी राय है बावजूद गवर्नमेंट की उदारता के फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन अपने मकसद में फेल हुआ है, कहीं ऐसे ही अब भी नाकामयाब न हो । इस का कारण यह है कि गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को सात करोड़ रुपया दिया, बड़ी उदारता से दिया, और अपना फर्ज अदा किया और साथ ही यह भी पास कर दिया कि यह अटानोमस बाडी है, उन्हों ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन इस के बावजूद मेरी यह राय है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन खासा नाकामयाब हुआ है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन को तकसीम करूं तो उस के चार हिस्से हैं । दो आफिशल और दो नानआफिशल । अब अगर मैं आफिशल को तकसीम करूं तो उस के दो हिस्से हैं । एक तो स्लीपिंग हिस्सा है और दूसरा ऐक्टिव हिस्सा है जो ऐडमिनिस्ट्रेटर है वह तो ऐक्टिव हिस्सा है जो दूसरे मेम्बर हैं वह स्लीपिंग मेम्बर हैं । वह ऐसे मेम्बर हैं कि मीटिंग होती है तो चाहे वह उस को ऐटेन्ड करें या न करें ।

इसी तरह नान आफिशल हिस्से के भी दो हिस्से हैं । एक हिस्सा तो उन लोगों का है जो कि ऐडवाइजरी बोर्ड के मेम्बर हैं और दूसरा हिस्सा वह है जो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के मेम्बर हैं, लेकिन इन चार हिस्सों के बावजूद, जिस में कि आफिशल भी हैं और नानआफिशल भी, मेरी अदब से यह गुजारिश है कि अगर आज मैं रिफ्यूजीज की हालत को सामने रखता हूं, अपने आदमियों को सामने रखता हूं तो ऐडमिनिस्ट्रेशन अपने काम में बराबर फेल हुआ । लेकिन दिक्कत क्या है ? दिक्कत यह होती है कि जो स्लीपिंग मैम्बर हैं वह परवाह नहीं करते वह अपने कामों में लगे हुए हैं, तनख्वाह मिलती है, कोई बात नहीं । जो चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं वह गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वह कोई ऐसी चीज सजेस्ट नहीं कर सकते जोकि रिवोल्यूशनरी हो, जो गवर्नमेंट को जरा धक्का लगाये ताकि गवर्नमेंट सोचे लेकिन they have not got the guts, they do not take up anything with the government दूसरी दिक्कत यह है । नानआफिशलस मेम्बरों का हिस्सा उन लोगों का है जो हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर हैं । उन्हों ने बहुत काम किया है, लेकिन बदकिस्मती से वह बहुत मसरूफ हैं और कामों के अन्दर, और इतना मुनासिब नहीं समझते कि कहें कि और मेम्बर ले लिये जायें । वह खुद इतने मसरूफ हैं कि मसरूफियत की वजह से अपना काम करते हुए ऐडमिनिस्ट्रेशन में उन को जितना काम करना चाहिये उतना

नहीं कर पाते । ऐडमिनिस्ट्रेशन का चौथा हिस्सा जो नानआफिशल का है वह उस के एडवाइजरी मेम्बर्स का है । उन की कपैसिटी एडवाइजरी है, जैसे मैं हूं । तीन चार साल से काम कर रहा हूं । उन का काम है बोलना, जोर से बोलना और रेज्योल्यूशन पास कर देना । लेकिन इस के बावजूद भी उन के लिमिटेशन्स हैं । इस वास्ते हालांकि ऐडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, रुपया दे रहा है, फिर भी यह सब्जेक्ट फेल हुआ है । मुझे इस बात का दुःख है, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता पर क्या किया जाय ? अगर हम एडवाइजरी बाडी में बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी तो सिर्फ ऐडवाइजरी कपेसिटी है । मैं पब्लिक का नुमाइन्दा हूं इसलिये मेरा फर्ज है कि मैं सच्ची बात कहूं । तो दिक्कत क्या है यह सोचिये, आखिर काम क्यों नहीं होता है ? कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन जल्दी नहीं कर सकता । मेरी गुजारिश यह है कि अमल ने यह साबित कर दिया है कि यह बात गलत है । आप को मालूम होगा कि ३१ सितम्बर, २९५१ से ६५ हजार ऐप्लीकेशन्स आई हैं । जो आदमी ऐप्लीकेशन्स देते हैं उन का यह ख्याल होता है कि उन की ऐप्लीकेशन्स का फैसला जल्द हो जायेगा, दो दिन में, तीन दिन में, दस दिन में, महीना, दो महीना या चार महीने में । लेकिन बात क्या हुई । दो साल गुजर गये । इस के अन्दर ५० हजार ऐप्लीकेशन्स का फैसला हुआ है । अब यह गौर फरमाइये कि उन की हालत क्या है । जो ६५ हजार दरख्वास्तें थीं उन में से १३ हजार मंजूर हुई हैं, १३ हजार में से ८ हजार ने लोन लिया है, पांच हजार ने लोन भी नहीं लिया । अब जरा आप ऐनालाइज कीजिये कि असलियत क्या है । उन की हालत क्या होगी । जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं उन को दो हिस्सों में तकसीम कर लें । एक वह हिस्सा है जो कि बिल्कुल तबाह होकर आये हैं, उन के पास रुपया नहीं है, वह अपना काम शुरू करना चाहते हैं, आज उन के पास कोई रुपया नहीं कि वह काम शुरु कर सकें, अगर उन की दरख्वास्त दो साल तक पड़ी रही तो उन की हालत क्या होगी । जिन के पास आज खाने को नहीं है, दो बरस तक उन्हों ने किसी तरह से गुजर किया, आज खाने को नहीं है, उन की दरख्वास्त को दो महीने, चार महीने, साल, दो साल हो जाते हैं, उन की हालत क्या हो सकती है, लाजिमी तौर पर वह यह करेंगे कि अपने रिश्तदारों से रुपया मांगेगे, दोस्तों से मांगेंगे और दिन ब दिन मकरूज़ होते जायेंगे ।

दूसरी कैटेगरी उन की है जिन के पास रुपया था, और साल दो साल, बाद जो अपना रुपया खा चुके, खाने के बाद दोस्तों से भी मांग चुके, भीख मांग चुके, आखिर क्या हुआ कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उन को रुपया दिया नहीं है, उन्हों ने कर्जा औरों से लिया और जिन से कर्जा लिया उन से बातें हुई कि आज मुझे कर्जा दे दो, मैं ऐडममिनिस्ट्रेशन से कर्जा लूंगा तो तुम को दूंगा और अपना काम चलाऊंगा । इस तरह से वह महीने दो महीने, साल दो साल उधार लेते रहे और उधार ले कर अपना काम चलाते रहे ।

[SHRI PATASKAR *in the Chair*]

वह सोचते थे कि ऐडमिनिस्ट्रेशन रुपया देगा और मैं अपना काम चला लूंगा । लेकिन हुआ क्या ? ऐडमिनिस्ट्रेशन ने रुपया दिया नहीं, जिन दोस्तों से उन्हों ने कर्जा लिया वह तकाजा करते रहे कि रुपया दो । ऐसी हालत में मैं क्या करता हूं कि मैं दिल्ली छोड़ जाता हूं, मैं मेरठ जाता हूं ताकि दिल्ली वाला पीछे न पड़े । मेरठ में दोस्तों से मांगता हूं, मेरठ में पांच हजार रुपया कर्जा लेता हूं, जब वहां के लोग अपना रुपया मांगते हैं तो फिर इलाहाबाद चला जाता हूं । इस तरीके से उन रिफ्यजीज ने जो कि ६५ हजार की तादाद में थे और जिन्हों ने कर्जे के लिये

[लाला अचित राम]

दर्ख्वास्तें दी थीं उन की हालत बद से बदतर हो गई है । कल जब गुहा साहब बोल रहे थे तो मैं खामोश रहा : उन्हों ने कहा कि ऐड-मिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा काम किया, जब उन्हों ने उस की तारीफ की तो मुझे इस बात का बड़ा दुःख हुआ । गुहा साहब ने जो कि एक रिवोल्यूशनरी हैं ऐसी बात कहने की कैसे जुरत की । उन आदमियों की क्या हालत है ? आज मेरठ हैं तो कल कानपुर हैं और परसों किसी और जगह हैं । कर्जा अदा नहीं कर सकते और जगह जगह कर्जा लेते फिरते हैं । मैं यह किस वास्ते कहता हूं ? मैं यह इस वास्ते कहता हूं कि यह समझ बैठना ठीक नहीं है कि गवर्नमेंट रिवोल्यूशनरी तरीके से काम नहीं कर सकती । यह जो चारों बातें मैं ने कहीं उन में से हर एक का इलाज है । मैं कहता हूं कि लगातार ऐडमिनिस्ट्रेशन इस बात की सिफारिश करता रहा है कि हमारे पास ऐप्लीकेशन्स को डिस्पोज आफ करने के लिये बैठने की भी जगह नहीं है । जब बैठने की भी जगह नहीं है तो ऐप्लीकेशन्स कैसे डिस्पोज आफ हो सकती हैं। लेकिन यह कम्प्लेन्ट लगातार आती रही, दो महीने, चार महीने, साल, दो साल तक आती रही । मैं यह नहीं कहता कि इस की तरफ बिल्कुल तवज्जह नहीं की गई लेकिन जितनी तवज्जह करनी चाहिये थी उतनी नहीं की गई । चार महीने की बात है कि हम सरदार स्वर्ण सिंह की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि यह हमारी दिक्कत है जगह दीजिये । एक मिनट के अन्दर यह बात हुई । दूसरे दिन ही उन के इंजीनियर वगैरह वहां गये, जगह मिल गई, रुपया मिल गय और सवा महीने के अन्दर मकान बन गये । मैं ने गुहा साहब से कहा था कि आप गौर फरमाइये कि जब तक मकान न हो तो ऐप्लीकेशन्स कैसे डिस्पोज आफ हो सकती हैं । उन्हों ने कहा कि भाई क्या बात करते हो । कब बजट पेश होगा, कब ऐस्टीमेट बनेंगे, कब जगह मिलेगी, कितना वक्त पी० डबल्यू० डी० लेगी । जब आप ने यह बात कही तो मेरे दिल पर मायूसी आई कि आज इस काम के लिये इतना लम्बा प्रोसीड्योर होगा । कब ऐस्टीमट बनेंगे, कब फाइल आवेगी, कब टेके मिलेंगे, और उस के बाद बनेगा । मैं ने कहा अच्छी बात है । सरदार स्वर्ण सिंह साहब मौजूद थे : हम उन की खिदमत में हाजिर हुए । दूसरे दिन ही उन के आदमी गये और जगह मिल गई और सवा महीने में मकान बन गया । यह मामला तीन साल तक पड़ा रहा । मैं आप को एक्यूज नहीं करता कि आप उदार नहीं हैं । आप उदार हैं । अभी आप पांच करोड़ रुपया दे रहे हैं, और ज्यादा देने का वायदा करते हैं । इस में शक नहीं कि आप रुपया देना चाहते हैं, लेकिन जिस बात की जरूरत है वह कांस्टेंट विजलेंस । आप को यह देखना चाहिये कि आया रिफ्यूजीज के इंटरेस्ट सर्व होते हैं या नहीं । मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट के मैम्बर अच्छे हैं मैं अच्छा हूं और स्टाफ के आदमी भी अच्छे हैं । लेकिन इस अच्छाई से क्या फायदा अगर इस से रिफ्यूजीज को मदद नहीं मिलती । गवर्नमेंट किस वास्ते है गवर्नमेंट इसी वास्ते है कि वह सब इंटरेस्ट्स को देखे । जब मकान बन गये तो मैं ने कहा कि अब इन के लिये इन्तजाम क्या हो? सुनिये जनाब । कहा जाता है कि यह मकान तो बन गये मगर अगर इन ऐप्लीकेशन्स को डिसपोज आफ करना है तो स्टाफ रखना पड़ेगा । और उस के बाद जब ऐप्लीकेशन्स खत्म हो जायेंगी तो उस स्टाफ को रिट्रेंच करना पड़ेगा और फिर मुसीबत आयेगी । महज इस वास्ते कि स्टाफ को बाद में रिट्रेंच करना पड़ेगा । मुसीबत आयेगी इसलिये क्या स्टाफ नहीं रखा जायेगा ? एक तरफ स्टाफ के २५, ५०

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

या १०० आदमियों का इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ हजारों रिफ्यूजीज का इंटरेस्ट है । आप इन में से किस को सेक्रीफाइस करेंगे । स्टाफ के इटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेंगे या रिफ्यूजीज के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेंगे? इस कांस्टीट्यूशन की वजह से मैं पांच सात मिनट यहां बोल लेता हूं और ऐडवाइजरी कमेटी में भी बोल लेता हूं। आप फौरन स्टाफ को रखिये और काम चलाइये । आप पूछेंगे कि मैं यह सब बातें क्यों कर रहा हूं । मैं पिछली मर्तबा से यह देख रहा हूं कि बावजूद इस के कि आप की भावना उदारता की है, आप रिफ्यूजीज की सेवा करना चाहते हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं । आप ने आठ हजार आदमियों को लोन दिया है । ५८ हजार में से आप ने ८ हजार को लोन दिया है । पांच हजार ने लेना मुनासिब नहीं समझा । लेकिन अब देखना यह है कि वह लोग यह रुपया लेते क्यों नहीं हैं । ऐसी कौन सी बात है । हम को इस का सबब जानना चाहिये । आप ने १३ हजार आदमियों की दरख्वास्तें मंजूर कीं और उन में से पांच हजार लोन नहीं लेना चाहते । What is the reason behind it ? गौर फरमाइये । क्या वे आदमी बेअक्ल हो गये हैं ? उस की वजह यह है कि न फाइनेन्स डिपार्टमेंट उन की पूछने वाला है, न ऐडमिनिस्ट्रेशन उन की पूछने वाला है और न कोई दुनिया के अन्दर उन का पुरसाने हाल है । यह हालत है । इस वास्ते वह क्या करें । आप मेहरबानी कर के पांच करोड़ रुपया दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को । अभी यह आठ हजार ऐप्लीकेशन्स डिस्पोज आफ होने के बाद फिर आप लोन खोलेंगे । फिर ऐप्लीकेशन्स आयेंगी, फिर यही बात होगी । और फिर आप के सामने यही बातें आने वाली है । अगर यही बातें फिर होने वाली हैं तो मैं कहूगा कि खुदा के वास्ते आप यह रुपया वापस कर लीजिये, गवर्नमेंट का रुपया बरबाद न करिये । जब मैं यहां से जाता हूं तो लोग मुझ से पूछते हैं कि हम ने दो साल हुए दरख्वास्त दी थी उस का क्या बना ? मैं कहता हूं कि मुझे पता नहीं है । जहां जाता हूं लोग मुझ से यही पूछते हैं और मैं कहता हूं कि मुझे पता नहीं है । चाहे मैं अपनी गवर्नमेंट को कनडैम न करूं लेकिन मेरा हृदय कहता है कि यह स्टील प्रेम है । जैसा कि अग्रवाल साहब ने अपने आर्टिकिल में लिखा है कि जब तक इस में रिवोल्यूशनरी चेन्ज नहीं आवेगा तब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा । यह ब्यूरोक्रेसी है । मैं जानता हूं कि our Ministers are good, they are honest मैं जानता हूं कि हमारे गुहा साहब अच्छे हैं । जब आप इन बेंचों पर बैठते थे तो हम आप की बहुत बातें सुनते थे लेकिन अब आप उन बेंचों पर बैठते हैं तो आप एक लम्बी चौड़ी बात करते हैं कि कब बजट बनेगा, कब मंजूरी आयेगी, और कब क्या होगा । मेरा ख्याल यह है कि आप ने अभी तक रिफ्यूजीज के इंटरेस्ट को ठीक तौर पर वाच नहीं किया है । ५८ हजार में से सिर्फ आठ हजार लोगों को लोन दिया है । मैं यह भी जानता हूं कि उन की क्या गत होगी । कितने ही उन में से दिवालिये बनेंगे और कितने ही जेल जायेंगे ; जब कुछ फायदा नहीं होता तो what is the purpose of Administration ?

अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं अगर आप उन को रोकने के लिये कम्पीटेंट नहीं हैं, if you don't feel strong enough to check these mistakes, तो मेहरबानी कर के आप इस रुपये को वापस कर लीजिये यह किसी और काम आयेगा । इस तरह तो रिफ्यूजीज का भला नहीं होगा । एक करोड़ का तो ऐडमिनिस्ट्रेशन का ही खर्चा है । यह सारा रुपया उसी में चला जायेगा ।

[लाला अचिन्त राम]

इस वास्ते आप मेहरबानी कर के इसे वापस कर लीजिये। अगर आप के अन्दर कांस्टेंट वाच रखने की हिम्मत है तो इस काम को कीजिये। जो भी आप के पास दरख्वास्त आये तो देखिये कि उस को तीन महीने से ज्यादा, न लगें। एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता चार हफ्ता, पांच हफ्ता, ६ हफ्ता या १२ हफ्ता तक का वक्त लग जाये। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन १२ हफ्ते से ज्यादा पड़ी रहेगी तो मैं क्या कहूंगा। और दूसरे लोग क्या कहेंगे वह यह कहेंगे कि "There is no Government" इस वास्ते कोई भी दरख्वास्त जो आप के पास आती है अगर वह तीन महीने से ज्यादा आपके दफ्तर में न रहे तब तो दफ्तर चलाइये अगर आप इस के कानफिडेंट हैं तब तो इस काम को चलाइये नहीं तो बन्द कर दीजिये।

दूसरी बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। आप मानें या न मानें लेकिन मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं उस को आप के सामने अर्ज कर दूं। वह है इंटरैस्ट के मुताल्लिक। मैं समझता हूं कि जो लोन दिया गया है उस पर गवर्नमेंट ६ परसेंट सूद चार्ज करती है। आज कल के हालात में जब कि मुल्क में स्लम्प आया हुआ है यह चीज कितनी गलत है।

Mr. Deputy-Speaker: Will the hon. Member kindly look at me?

लाला अचिन्त राम : Thank you, Sir, बहुत से लोग जानते हैं, मुमकिन है कि कुछ को न मालूम हो कि हजरत मुहम्मद ने एक यह बात कही थी कि जब किसी को लोन दिया जाय तो उस पर सूद न दिया जावे, उन्हों ने यह एक रिवोल्यूशनरी बात कही थी और उन के सजेशन को यह कह कर कनडैम किया गया कि यह इम्प्रैक्टिकल है, यह रिवोल्यूशनरी है, यह अनइकानामिक है। मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिये यह बात ठीक न हो और वह उसे कनडैम करते हों, मगर मैं यह बात कह सकता हूं कि हजरत मुहम्मद की यह बात रिफ्यूजीज के लिये तो ठीक है। अगर आज आप उन को रुपया देते हैं और उस पर सूद चार्ज करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप उन की मिज़री का फायदा उठाते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है, आप चाहे मानें या न मानें, कि जो रुपया गवर्नमेंट रिफ्यूजीज को लोन पर दे उस पर एक कौड़ी सूद भी चार्ज न करे। अगर वह चाहे तो ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक से तीन परसेंट तक चार्ज कर सकती है। एक परसेंट चार्ज कर ले या दो परसेंट कर ले। लेकिन इस रुपये को इन्वैस्ट करने के ख्याल से लोन न दे। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट यह रुपया दान नहीं दे रही है। वह अपने रुपये को वापस ले।

But, why charge interest from the refugees, I cannot understand.

इस वास्ते मैं कहता हूं कि अगर आप को नया बिल लाना है तो नया बिल लाइये। अगर आप इस सजेशन को नहीं मानने वाले हैं तो न मानिये। लेकिन मैं कैसे कहूं कि आप इस को नहीं मान सकते। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सूद के लिये कुछ भी चार्ज नहीं करना चाहिये। उस को कोई सूद नहीं लेना चाहिये। हां, ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक या दो परसेंट ले सकते हैं। मगर मैं आप से कहूंगा कि जो हजरत साहब ने १३००, १४०० वर्ष पहले कहा था और जिस पर लोग आज भी अमल करते हैं, तो फिर उस पर कम से कम आप रिफ्यूजीज के लिये तो अमल कीजिये। आप एक कौड़ी उन से मत लीजिये as interest, यह मेरा मतलब है।

दूसरी बात जो मैं कहने वाला हूं वह मेरे ख्याल में न गुहा साहब के बस की बात है और न फायनेन्स मिनिस्टर साहब के बस की बात है। मुझे माफ करेंगे कि अगर मैं कहूं कि शायद वह पंडित जी के भी बस की बात नहीं है। वह यह है कि रुपया तो आप दे देते हैं, लेकिन उस रुपये से कोई क्या करेंगे जब कि स्टेट्स के आदमी उन को मकान रहने के लिये नहीं देते, उन को काम चलाने के लिये शाप प्रिमिसेज नहीं देते और न उन को कोटा देते हैं। आप को मालूम होगा कि जो रुपया आप उन को देते हैं उस को वह खा जाते हैं। उस के बाद आप कुर्की के वारेंट निकालेंगे और उन को जेल भेजेंगे, इसलिये कि यह बात आप के बस की नहीं है। फायनेन्स मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेट्स को दो चिट्ठियां लिखी गई कि प्रिमिसेज मुहय्या कीजिये, मकान दीजिये, शाप्स दीजिये। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हुआ। स्टेट्स वाले राजा बने बैठे हैं। थोड़ा सा पंडित जी के सामने आने पर हां-हां कर देते हैं, करते कुछ नहीं। इसलिये यह आप के बस का रोग नहीं है। लेकिन कहना तो मुझे पड़ता है, क्योंकि शायद यह किसी और के बस की बात हो। जब तक स्टेट्स आप के साथ कोआपरेट नहीं करेंगी, जो बात आप कहेंगे उस को नहीं मानेंगी, तब तक काम नहीं चलेगा। जहां तक सेंटर का सवाल है, They had no business to go against them : they must comply with them अगर आप की चिट्ठी जाती है कि जिस को लोन आप ने दिया है उस को बिजिनैस प्रिमिसेज मिलनी चाहिये तो आप देखेंगे कि वह दी जाती है : एक चिट्ठी भेजी, लेकिन कोई परवाह नहीं की गई। दूसरी भेजी, फिर भी कोई परवाह नहीं की गई इस बारे में मैं गुहा साहब से क्या गिला करूं, फायनैन्स मिनिस्टर से साहब क्या गिला करूं, प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या गिला करूं, और किसी से क्या गिला करूं। यह फैक्ट है। इसलिये मैं कहूंगा कि आप को अगर सरकार को चलाना है तो आप ऐसा इन्तजाम कीजिये कि स्टेट्स की गवर्नमेंट आप के साथ कोआपरेट करें। आप इसे और मुहब्बत से कीजिये, प्रेम से कीजिये और चाहे सख्ती से कीजिये, but see that your orders are complied with. लेकिन अभी यह नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने से कोई फायदा नहीं है।

श्री धुलेकर : (जिला झांसी - दक्षिण) कोटा नहीं मिलता।

लाला अचिन्त राम : हां, यह बात मेरे दिल में है। कंट्रोल की वजह से जो कोटा है उस के मिलने में उन को दिक्कत है। रुपया मिल जाये, या मकान भी मिल जाये, लेकिन मकान में वह क्या करेंगे, वह क्या अपने कारखाने बना सकते हैं जब तक कि कोटा उन को नहीं मिलता। इसलिये जहां जरूरत है बिजनैस प्रिमिसेज की, जहां जरूरत है बिजली के कनैक्शन की वहां कोटे की भी जरूरत है, मैटीरियल की भी जरूरत है।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी गुहा साहब ने फरमाया है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया है कि अब जो रुपया लोन्स का दिया जाय वह उन को दिया जाय जो कि ईस्ट बंगाल से आये हैं।

श्री ए० सी० गुहा : नहीं नहीं, I have not said anything like that,

लाला अचिन्त राम : अच्छा, Thank you very much मैं अपनी गलती मान लेता हूं उस की वजह यह है कि मैं बदकिस्मती से कल गैरहाजिर था, इसलिये जो रिपोर्ट मेरे पास आई उस पर मैं ने यह कहा। लेकिन

[लाला अचिन्त राम]

में महसूस करता हूं, अपने दिल के अन्दर, कि गवर्नमेंट को ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में सावधान रहना चाहिये। यह मौका है कि वह अपने पास रुपये का इन्तजाम रखें। जिस तरह पाकिस्तान के कौंस्टीट्यूशन के लिये तबदीलियां आ रही हैं खास कर माइनारिटीज के लिये उन से मालूम नहीं पड़ता कि दो चार महीने के बाद क्या हालत पैदा हो और कितना इनफलक्स (influx) यहां फिर आ जाय। मैं नहीं कहता कि ऐसा हो लेकिन जिस तरह के हालात नजर आते हैं उन से पता नहीं लग सकता। मास मैंटेलिटी अजीब तरह की होती है। अगर कोई असर हुआ तो फिर हजारों आदमी वहां से निकलना शुरू हो जायेंगे। फिर आप कहेंगे कि अब तो नया बिल पेश होने वाला है उस में इन्तजाम किया जायगा और उस के लिये वक्त नहीं रहा रुपया कहां से लावें। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस तरह के तमाम खतरात जो आने वाले हैं उन के लिये आप पहले से ही इन्तजाम कर लें जिस से अगर कोई ऐसा खतरा पैदा हो तो आप उस का फौरन इन्तजाम कर सकें और लोगों को तकलीफ न हो; यह जो मुसीबत है उस को गवर्नमेंट आफ इंडिया को पहले से देख लेना चाहिये और उस का इन्तजाम करना चाहिये।

अब ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं आखिर में सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप ने जो प्राविजन्स किये हैं वह बहुत अच्छे हैं। (हंसी) मेरे बाज भाई शायद हंसते हैं कि मैं ने इतनी देर तो नुक्ताचीनी की और अब तारीफ कर रहा हूं। लेकिन आप देखें कि इस में तीन बातें प्रोवाइड (provide) की गई हैं। पहले तो वह किया गया कि ७ करोड़ के बजाय अब साढ़े १२ करोड़ रुपये की हद मुकर्रर की गई है। दूसरे इस की मिआद को गवर्नमेंट ने जो पहले दस वर्ष थी उस के बजाय १५ वर्ष कर दी है। मेरा दिल इस से खुश है। तीसरी बात यह है कि जो रुपया कर्ज का वापस आवेगा वह फिर कर्ज के लिये दिया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या आने वाला है ?

लाला अचिन्त राम : आप ने फरमाया है कि क्या आने वाला है। मैं कहता हूं कि जो रुपया कर्ज में दिया जायेगा वह वापस आने वाला है। पूरा नहीं तो आठ आने वापस होगा इस में यह प्रोवीजन है कि जो रुपया वापस होगा वह फिर कर्ज पर दिया जा सकेगा। जितना रुपया वापस आवेगा चाहे वह रुपये में १२ आने वापस हो या आठ आने वापस हो चाहे चार आने ही वापस हो तो जितना भी रुपया वापस होगा वह फिर कर्ज पर दिया जायेगा। इस तरह यह तीन प्रोवीजन इस बिल में हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैं इस को नुक्ता चीनी का मौजू नहीं बना सकता। इस के लिये मैं मुबारकबाद देता हूं। फिर जैसा मैं ने पहले कहा आप आने वाले खतरात के लिये इन्तजाम कर लें ताकि वक्त आने पर आप को न कहना पड़े कि इन्तजाम नहीं किया गया।

Sardar Hukam Singh: I was surprised to listen to my hon friend Mr. Achint Ram. He began by offering congratulations and ended by showering thanks. But in between he said something about the working of the Administration, with which I want to associate myself. He said that the object with which this legislation was passed by us has not been fulfilled. One of the objects with which we established this Rehabilitation Finance Administration was for giving financial assistance on reasonable terms to displaced persons to enable them to settle in business or industry. I have to submit that this object has not been fulfilled. The terms on which the loans were advanced, the conditions that were imposed and the me-

thods that we have laid down for making recoveries are such that we cannot expect these unfortunate victims of partition to settle themselves in industry.

I might first taketh e rate of interest. Government charges three per cent, and in this Act we authorised the Administration to charge up to 6 per cent. That was the maximum that could be charged. But the Administration thought that they could not content themselves except with charging the maximum that had been permitted to them. Six per cent. is not an ordinary rate of interest, if we take into consideration that the purpose of the legislation was to help the refugees to rehabilitate themselves. This legislation has worked very hard, especially when we find that provincial loans are advanced on 3 per cent. when the days are hard, when there is so much slump and people are not getting any return for what they invest. Naturally, it is very difficult for those people to pay the instalments as they become due. Then you come round and complain that so many refugees are not able to pay their loans back and this Administration is running at a loss.

Besides the high rate of interest, the procedure for obtaining loans is so cumbersome that it is not easy for an ordinary man—unless he has certain pulls,—to get loans within a specified period within which he expects to start an industry or rehabilitate himself. Only as an illustration I might cite my own example. I also applied for a loan of Rs. 50,000—perhaps, it was in 1949. I started a transport business here in Delhi. After about 15 months when that business had failed and everything had gone, because I could not get any money, I was served with a notice of enquiry as to what caste I belonged to. The reply I sent was that there was no need of my giving any information about this, because my business had failed and therefore I did not want any loan. I stopped there and said I did not require any loan. There have been other cases as well of that sort where people wanted money soon to start some business. And that enquiry also is there, whether they have invested anything of their own, whether they have any premises, what they will be able to invest if the loan is given to them and so on. Then by the time tne application is looked into and some decision is taken, perhaps the object for which it was wanted is almost gone and there is no use of the loan. Then, if he is lucky to get his loan sanctioned, as was pointed out yesterday, it is doled out in such small instalments that the poor man, urged by necessity and compelled by circumstances, has to eat up the instalments that are given to him and he is unable to start his business. I am talking of small people. not those who have been given Rs. 50,000 or a lakh of rupees. But those people who are given five, seven or ten thousand. Most of them, not because they are dishonest, not because they do not want to pay it back, not because they do not want to start an industry or business, but because they are compelled by circumstances, have to eat up the instalment which is given to them before the next help reaches them, and therefore the whole object is frustrated.

So it has been pointed out that some speedier method should be adopted whereby the refugees can get the loans in a shorter period and the gap is not so much as to frustrate the very object of the loan.

Our friend just said that he would rather like. if the same procedure is to continue and if the same difficulties are to continue, that the Government should withdraw the Rs. 4½ crores that is now given to them. But he perhaps forgets the real fact that there is nothing to be withdrawn. That ordinance was passed and already Rs. 13 crores have been exhausted. There is nothing in the account of the Administration itself that the Government can take back now. We can only urge that the criticism that

[Sardar Hukam Singh]

has been offered, the stringency which is there in getting the loan and the methods in recovering the loan, should be looked into and some easier method should be adopted whereby these persons can feel that they are really being helped by a Government which wants them to be rehabilitated and that it is not a money lender who is giving them loans on usurious rates. That they do not feel and therefore the object, I say, has not been fulfilled as we wanted it to be.

Then, Sir, there are the conditions that he should produce guarantors. We have also learnt that there are complaints that certain guarantors are not traceable. It is quite right. Because, they have no property of their own and when they apply for loan their object is to get something to start with; when some small loans, five or seven thousand rupees, are sanctioned they have to run about to find some guarantors. And the guarantors have their own conditions before they can come forward. I might convey to the Finance Minister for his purposes that this is very good of the Administration or the office itself that there are certain persons who might not be helpful in some other respects but who have been helpful in this that they can find out guarantors for the loanees. But they dictate their own terms. If it is a loan of seven thousand somebody says "I can find you a guarantor, but you will have to give him two thousand out of the seven thousand". The poor man, compelled by circumstances, sometimes is agreeable to that. And two thousand goes to the man who says he would produce those guarantors. They are readily available round about that office. The loan would be given. Two thousand is gone in the first instance, five thousand he is prepared to get, that also perhaps in some instalments. Those guarantors are only known to the people who provide them. The loanee does not know them himself. Therefore when he is asked to give those particulars he is unable to do so. Those guarantors are missing. They are known to those people alone who are there. It is therefore natural that some guarantors would not be traceable.

But there is the other condition. I submit there are some honest people who really want to repay if helped with any loan for which they apply, but they find it difficult. They do not want to resort to such devices that they should pay something out of it. Because, it is those who have no intention of paying back who would succumb to that temptation. Therefore there might be others who might not like to adopt those methods. They go round in their attempt to find out good guarantors, but that is not possible and they have to remain content without getting the loan. That is the reason that has been given in two Reports, that because they could not find good guarantors they could not utilise the loans sanctioned to them. There might be one or two dishonest men who might dupe us, but if a dozen others can get the advantage of this, we should try to relax these conditions about guarantors so that they can feel that they are helped and they can really invest the money in the business or interprise that they want to start. The conditions that are laid down in the Act are that the whole business, the machinery etc., the tangible things will be mortgaged. The loan and the interest thereon will be the first charge on that machinery. We can keep a check on him that he does not remove them. And all earnings are also there. Therefore in cases which are really hard we can relax those conditions about guarantors, these guarantors should not be insisted upon and they should be helped to get the loans even without those people coming forward, because the pledge is already there. Whatever is purchased, whatever is got is pledged with the Government and Government has the first charge on it. There might be a few exceptions, but in all cases it would not be possible for these people to run away with the property and the Government would be able to realise it—unless of course where

they have lost their business, where they have not been able to earn anything and the capital itself is consumed. There might be a few cases like that. In regard to that I submit we can also forgive and write off those loans. The object was to help them and not only to start a business house charging so much interest for them. If two or three crores are lost, even then it does not matter. That would be a help for rehabilitation. If the Administration which is running at so much loss has consumed one crore already and may consume one or two crores in the future, then we need not grudge if two crores are taken by the loanees and they are recovered. We have not been supplied with figures to show whether the Administration is, at present, meeting its expenses from the interest that is being charged. It has to pay 3 per cent. to the Government and the balance of 3 per cent is the maximum that it can get. We want to know whether now it is able to meet its own expenses or not. In the one Administration report that we got, up to 31st December 1951, the deficit was 42 lakhs. The explanation given was that during the first year of its existence, the Administration has naturally to live on capital, and that as advances increase and the interest earnings go up, it may be hoped that the deficit will be wiped out. I want to know whether any deficit has been made good. We hoped that the deficit will be wiped out, as was expected then. Most of the moneys have been advanced to the refugees; thirteen crores have been spent up. Therefore, that argument, that as advances increase, etc., does not hold good now. They have gone to the maximum limit. Now, we should know whether really that deficit has been wiped out. Even in the report for the period ending with 30th June 1952, the same explanation was given. The deficit was put down at 50 lakhs. Previously it was 42 lakhs; then it came to 50 lakhs after six months. The deficit is Rs. 50,47,000. The deficit is accounted for almost entirely by the working expenses of the Administration. The interest earned till 30-6-52 exceeded interest payable to Government on their advances by a little over Rs. 13 lakhs. The same explanation is given in the end that for some time, working expenses were naturally out of all proportion to the earnings represented by the difference between interest earned and interest payable to Government. As advances increase, and *pari passu* interest earned by the Administration goes up, it may be hoped that the Administration will not only pay its way but also ultimately recoup the losses so far incurred. I would request the hon. Minister to tell us whether any portion of it has been recouped now, because the utmost limit is almost reached. Thirteen crores have been spent up.

I will end with this. The Bill had a laudable object and so all of us welcomed it. But the object for which this Administration had to work is not being fulfilled. The Ministry should carefully look into the grievances and the weaknesses that have been put forward in this House during the last two days.

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐमेंडमेंट बिल जो कि माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है, मैं उस का स्वागत करता हूं, लेकिन इस के साथ साथ इस में जो कुछ खामियां हैं उन की ओर भी संकेत कर देना चाहता हूं, विशेषकर इंटरेस्ट के बारे में । आज जो भी इंटरेस्ट पुरुषार्थियों से लिया जाता है, आप उन को शरणार्थी भी कहते हैं, वह ६ परसेंट से ज्यादा नहीं होगा । यह ठीक बात है, लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि जो प्रान्तीय या स्टेट की सरकारें हैं वे जो लोन देती हैं वह ३ परसेंट के हिसाब से देती हैं । ऐसी हालत में शरणार्थियों की सारी हालतों को देखते हुए और जिस तरह से वह अपनी गुजर बसर करते हैं उस पर नजर रखते हुए गौर करें तो आप को मालूम होगा कि उन को किस मुसी-

[सरदार ए० एस० सहगल]

बत का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, और अगर गौर किया जाये तो उन्हीं की वजह से हम को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और मैं समझता हूं कि इस में दो रायें नहीं हो सकतीं चाहे वह हमारे बंगाल के भाई हों, चाहे पंजाब के हों, या सिंध के हों इस बात को मानना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात को अर्ज करना चाहता हूं कि वे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उस में जो कुछ उन का खर्चा है, दफ्तर का खर्च, लोगों का खर्च, अफसरों का खर्च, इन सारी चीजों का खर्चा निकालने के बाद ४ परसेंट चार्ज कर लें तो मैं समझता हूं कि शायद यह वाजिब चीज होगी। मैं यह नहीं कहता कि आप इन सारी चीजों के होते हुए भी इन्टरेस्ट बिल्कुल छोड़ दें जैसा कि कुछ भाइयों ने सुझाया है। मैं तो यह कहूंगा कि यदि सरकार उन को पैसा देती है तो बराबर उन से इन्टरेस्ट चार्ज करे लेकिन उतना ही चार्ज करे जितना कि वह दे सकते हो।

इस के अलावा उन्हों ने एक चीज यह रक्खी है कि वह १० से १५ वर्ष के भीतर जितना भी कर्जा हो उस को दे सकेंगे। इस के लिये मैं उन से अर्ज करूंगा कि उन की सारी मुसीबतों को देखते हुए, उन की और सारी चीजों को देखते हुए यदि वह इस अवधि को २० वर्ष तक बढ़ा सकते हों तो उस पर विचार कर के, गौर कर के, कम से कम उन को २० वर्ष का समय दें ताकि वह अपना कर्जा आसानी से दे सकें। इस बीच के अर्से में जो आप ने कर्जा दिया है बराबर उस का सूद उन से वसूल कर सकते हैं। उन को इस बात पर अवश्य गौर करना चाहिये।

इस के साथ साथ उन्हों ने आडिट के बारे में यह लिखा है कि जो ऐकाउन्ट्स हैं वह आडिट होंगे। मैं उन से कहना चाहता हूं कि वह चीज जिस तरह से शुरू हुई है और जिस वक्त से उस की स्थापना हुई है उस तारीख से वह ऐकाउन्ट्स का आडिट करायेंगे तो उन को मालूम होगा कि दरअसल क्या बातें हैं और यदि कोई चीज हो तो वह उस को जनता के सामने रख सकते हैं।

इस के साथ आप से मैं यह भी कहूं कि जो भी आप दरख्वास्तें ले रहे हैं चाहे वह बंगाल के लोगों की हों, चाहे पंजाब के लोगों की हों और चाहे सिंध के लोगों की हों जो भी शरणार्थी या पुरुषार्थी हैं उन की दरख्वास्तों के लिये वह थोड़ा टाइम और दे दें ताकि वह नई दरख्वास्तें भी दे सकें। उन को लिया जाय और उन के ऊपर गौर किया जाय। जैसे मान लीजिये कि कोई शरणार्थी है, उस के पास उस की मिल है और मिल पर वह कर्जा लेना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में उस की मिल पर ही उस को कर्जा दिया जाय। यदि वह कोई चीज यहां पर कायम करना चाहता है और उस से अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है तो उस पर गौर कर के उस को कर्जा दिया जाय। नई नई दरख्वास्तें यदि आयेंगी तो हो सकता है कि उन में यह सारी चीजें आयें और उन पर हम को गौर करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री ने जो बिल रखा है मैं उस का समर्थन करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon) *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member wants to speak? The hon. Member has already taken part. This is a small Bill.

Pandit Thakur Das Bhargava: I will not take much time of the House.

Mr. Deputy-Speaker: All right. Pandit Thakur Das Bhargava will speak. Then, I shall call upon the hon. Minister.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे सिर्फ एक चीज अर्ज करनी है। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता कि रिफ्यूजीज के साथ कैसा सलूक किया जाय, किस तरह से कर्जा देने में सहूलियतें दी जायें या ज्यादा दिया जाय या कम दिया जाय। मैं तो सिर्फ एक चीज अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कल मैं ने अर्ज किया था कि जहां तक शरणार्थियों का सवाल है, जहां तक बिल को एफेक्टिव बनाने का सवाल है, जहां तक बिल के मकसद को पूरा करने का सवाल है, वह सवाल दरअस्ल एक चीज पर ही रिवाल्व करता है और वह यह है कि शरणार्थियों से आप क्या सूद लेते हैं। मैं सिर्फ इस बारे में ही कुछ अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने श्री गिडवानी साहब के जवाब में यह फरमाया था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी शिपिंग कारपोरेशन को या किसी और को रुपया दे तो शर्त यह होगी कि पहले पांच बरस तक कोई सूद नहीं लिया जायेगा, उस के बाद सूद लिया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर दरअस्ल आप चाहते हैं कि शरणार्थी रिहैबिलिटेट हो जायें तो उस के लिये प्रैक्टिकल चीज यह है कि पहले एक या दो साल तक आप उन से कोई सूद न लें कम से कम उन को एस्टैब्लिश होने दिया जाये। अगर कर्जा लेकर कोई नया बिजनेस शुरू करे तो एक बरस के अन्दर वह इस काबिल नहीं हो सकता कि उस साल का इन्स्टालमेंट भी वह सरकार को दे सके, अपना गुजारा भी कर सके और ६ परसेंट सूद भी दे दे। मुझे ज्यादा एक्स्पीरिएन्स तो नहीं है, जो लोग उधर बैठे हैं उन से पूछिये कि अगर कोई आदमी दस बीस हजार रुपया लगाकर कोई काम करे तो पहले साल में वह ६ परसेंट कमाता भी है या नहीं।

इस लिये मैं जो एक छोटी सी तजवीज पेश करना चाहता हूं वह यह कि कम से कम दो साल तक कोई इन्टरेस्ट चार्ज न किया जाय और किसी सूरत में भी ४ परसेंट से ज्यादा इन्टरेस्ट चार्ज न किया जाय। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूं। मैं एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहता, मैं यह नहीं चाहता हूं किसी आदमी से कोई सूद चार्ज न किया जाय, जैसा कि अभी कहा गया, लेकिन मैं प्रैक्टिकल प्रोपोजीशन यही समझता हूं कि आम तौर पर सरकार ३ परसेंट पर लोन देती है और ३ परसेन्ट पर ही लोकल गवर्नमेंट ने सारे कर्जे दिये हैं, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा ४ परसेंट चार्ज कर लिया जाय। लेकिन अगर इस से ज्यादा तजावुज करना है तो फिर इतना ही रखिये। हम ने दुनिया को दिखला दिया कि हम ने ६ परसेंट पर लोन दिया। लेकिन इस से मतलब पूरा नहीं होगा।

इस बिल के अन्दर यह तरमीम पेश नहीं हो सकी क्यों कि ऐक्ट में यह लिखा हुआ है कि ६ परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है। तो अब कौन है जो ६ परसेंट चार्ज करना चाहता है। क्या गवर्नमेंट ६ परसेंट चार्ज करना चाहती है या एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज करना चाहता है, या कि शरणार्थी मजबूर करते हैं कि हम से ६ परसेंट से कम चार्ज मत करो। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने हुक्म से यह कर सकती है कि तीन परसेंट से ज्यादा न चार्ज किया जाय। अगर एडवाइजरी बाडी की या एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश की जरूरत हो तो ....

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नईदिल्ली) : हम लोगों ने तो बार बार डिमान्ड किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रशन बिल के कानून की बहस का आखिरी दिन है। सरकार ने १४ करोड़ ५० लाख रुपये तक कर दिया है, इंस्टालमेंट भी १५ कर दिये हैं और यह भी कर दिया है कि जो रुपया वसूल होगा वह भी इन्वैस्ट किया जा सकेगा। तो फिर आज यह कोपिंग स्टोन होगा अगर सरकार यह एश्योरेन्स दे कि अगर ऐडवाइजरी बाडी और एडमिनिसट्रेशन यह सिफारिश करें तो वह इसे कबूल करेगी कि कम से कम पहले एक या दो साल तक कोई सूद चार्ज नहीं किया जायेगा।

श्री गिडवानी : पांच साल तक।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह अपनी अपनी राय है। अगर यह भी किया जाय तो हम बहुत मशकूर होंगे कि पहले दो साल तक कोई सूद न चार्ज किया जाय और बाद में चार परसेंट से ज्यादा किसी सूरत में न चार्ज किया जाय। अगर गवर्नमेंट इस पर सिम्पैथेटिक कन्सीडरेशन करे और ऐश्योरेन्स दे तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल कल एक मिनट में खत्म हो सकता था लेकिन आज बहस के लिये रखा गया उस का प्रैक्टिकल इफेक्ट हम पर होगा और सारा कन्ट्री मशकूर होगा कि मिस्टर गुहा साहब जिन की बाबत हम सब जानते हैं कि वह अपने अन्दर ऐसा दिल रखते हैं जिस में देश के वास्ते और रिफ्यूजीज के वास्ते हमदर्दी है। अगर यह कहेंगे कि वह इस को सिम्पेथेटिक कन्सीडरेशन देंगे तो हम निहायत मशकूर होंगे।

Shri R. K. Chaudhuri (Gauhati): I am not going to make a speech. I want to know this only: The Rehabilitation Ministry has lately announced that they have adopted certain scheme to pay compensation to displaced persons, and according to that scheme, as far as I have been able to gather, not more than Rs. 8,000 will be given to any one applicant. Now, what will be the effect of this on the loans which have been taken? Recovery of loans has been suspended in many cases to the extent of ten per cent of the verified claims. Now nobody will be getting more than Rs. 8,000 according to this scheme, but according to earlier arrangement, at least ten or six per cent of the amount will not be recovered in respect of those persons whose claims have been verified to a larger amount. What will be the effect of this on the realisation of the loan?

Shri Tek Chand (Ambala-Simla) *rose.* —

Mr. Deputy-Speaker: Does Mr. Tek Chand also want to put a question?

Shri Tek Chand: No, Sir. I wish to make a few observations, if I may.

Mr. Deputy-Speaker: I thought I might call upon the hon. Minister to reply. We have had sufficient discussion over this matter. If there is any other point that has not been clarified, he may ask the Minister. So much has been said, though not strictly arising out of this Bill, and I allowed the discussion to go on.

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): May I answer the question raised by Mr. Chaudhuri?

Mr. Deputy-Speaker: I will come to the hon. Minister. Let me exhaust the non-officials.

Shri Tek Chand: I wanted to make a few observations if I may. I do not want to ask any questions.

Mr. Deputy-Speaker: Already I have allowed sufficient discussion. Let it not be said I am not allowing it.

Shri Tek Chand: I rise to extol the magnanimity which has motivated this measure, but I wish to endorse in no uncertain terms the criticism that has also been levelled. It is a matter of deep regret that years rolled by, months passed, and yet applications did not see the light of the day, they could not find any place on the desks of the officers concerned. Sir, it is

trite but true that justice delayed is justice denied. It would have been an act of mercy if applications not disposed of had been rejected earlier. People would not have stood in suspense waiting and waiting in the false hope that something might turn up. It would be desirable, if there are far more applications than can be disposed of, to say that applications from this number to that number stand rejected for the time being, or will not be considered for the next six months. People will have some satisfaction, but to entertain hopes and to keep the people on tenterhooks is galling in the extreme. This is something that deserves to be avoided and it can be avoided.

Regarding the rate of interest, my contention is that to insist on six per cent from a displaced person is tantamount to usury. It is almost an usurious interest, ...

An Hon. Member: Worse than that.

Shri Tek Chand:.... and that too, to insist that they must part with six per cent almost from the year that the loan is advanced. It is up to the Advisory Board or the Advisory Committee to advise them, to tell where to invest, because it is not desirable that the nation's money should be consumed and not invested, not used for purposes of rehabilitation but for purposes of consumption. Therefore, it would have been very desirable if the Advisory Committee had been guiding them, that they should invest in a particular manner or in a particular business.

Then, Sir, I must confess that to my mind the high expense of running this Administration is incomprehensible. That a Crore of Rupees should be spent in order to pay the high salaries of these worthy gentlemen, especially in matters of rehabilitation and relief, is hurting and is painful. Surely the matter is not so complicated, the matter is not such which requires very expensive experts. The expenses of administration deserve to be checked. And lastly, Sir the yardage seems to have increased to enormous length—I mean the yardage of that ribbon in red. I won't call it red tape. And that I should think deserves to be abolished. Therefore, whereas the principle underlying the Bill is commendable, whereas the money and the relief that are going to be provided will be most welcome, at the same time it is requested that the expense deserves to be checked and the rate of interest deserves to be reduced.

Shri A. P. Jain: The question which Mr. R. K. Chaudhuri has raised has been before us. The officers of the Rehabilitation Ministry and the Rehabilitation Finance Adiministration are working out the possible effects of the compensation scheme on the rehabilitation loans and thier recovery. I do hope that we will come to a fairly satisfactory conclusion whereby the loanees may receive some relief or a corresponding relief in the repayment of their loans, but the actual working may take a few days.

Shri R. K. Chaudhuri: Thank you.

Shri A. C. Guha: I think most of the points mentioned today were raised yesterday also, and most of the speakers have gone beyond the scope of the Bill as stated by you.

Lala Achint Ram made certain personal references; and I think I should state here that he once approached me for constructing a building of its own for this Rehabilitation Finance Administration. He appealed to my past revolutionary career, and said that as a revolutionary I should construct a building for the Rehabilitation Finance Administration, say, within two weeks or a month or something like that.

To that naturally, I had to plead my inability.

Lala Achint Ram: It was constructed.

Pandit Thakur Das Bhargava: Revolutionaries only destroy and do not construct.

Lala Achint Ram: In spite of your remarks, suggestions and opinions, it was constructed.

Shri A. C. Guha: That was the only offence I have committed, with my very good friend Lala Achint Ram.

[Shri A. C. Guha]

The other points raised are mostly regarding interest and certain conditions imposed on the disbursement of the loans and the consequent delay. As for interest, I think this House passed five years ago this Act, putting in it a provision that interest not exceeding 6 per cent. would be charged; and since then 6 per cent. has been the interest charged, and this 6 per cent. was of course, only in paper, because it is not actually realised. Further, there was also a system of giving a rebate of 1 per cent. if the interest is paid in time.

Shri Gidwani: If the instalments are spread in time.

Shri A. C. Guha: Interest also if paid in time.

So, the interest, in effect, will come to 5 per cent. Of course, I know that it is not possible for most of the loanees to take advantage of this facility. Anyhow, the feelings and sentiments expressed on the floor of this House, regarding interest must be taken note of by the Administration itself and also by Government. I cannot give any assurance, but I can only say that Government will examine the matter.

Certain objections have been raised regarding this 6 per cent. rate of interest. More than one Member has characterised this rate as usurious. I think even an established business man cannot get a bank loan at less than 7 per cent., and sometimes it is even more than that. So I do not think the rate is high as compared with the rates prevailing with the Banks. When this Act was passed —yesterday also I mentioned this thing—the bank rate was rather lower than what it is today. So, if there was sufficient ground for fixing this particular rate five years ago, I think from the point of view of the present market position, that ground holds much better than five years before.

As regards delay, I think this is more or less a complaint of the past, and not of the present.

Lala Achint Ram: There is every danger that these complaints will be repeated in future also.

Shri A. C. Guha: This institution has made good progress as regards expeditious disposal of the applications. I can give this assurance that Government and the Administration will surely see that the applications are quickly disposed of. I personally can admit that in most cases the refugees have not been able to make full use of the money advanced to them, not only from this Administration, but also from the ordinary rehabilitation funds, because of some delays and some instalment systems. The difficulty, particularly, of this Administration is that it is not actually giving grants on relief. The Administration gives money with an expectation that at least a certain percentage or portion of it will be realised. So, certain conditions have to be imposed to see the credit-worthiness of the loanee. In regard to this also, I think there has been some improvement in recent times.

Sardar Hukam Singh has mentioned some things about the guarantors. I know the difficulty that is being caused by this system, and I also know some of the corrupt practices indulged in by these guarantors. I can say, that during the last two months, we discussed this matter at least on two or three occasions. While we realise that the system of guarantors has not been.....

Mr. Deputy-Speaker: Courtesy requires that hon. Members who raise points ought to remain in their seats to hear the replies or explanations given by the hon. Minister. There is no meaning in throwing some points here, and then going away without waiting for an explanation. I hope hon. Members will bear this in mind in future.

Shri A. C. Guha: While realising that this system of guarantors has not been able to give a sufficient security for the money advanced, and has also been causing some trouble for the applicant, yet it has also not

been possible for us altogether to dispense with this system. Anyhow, apart from the feelings expressed here, this question has been under our examination, for the last two or three months. If possible, we shall make certain relaxations in this matter.

I think Pandit Thakur Das Bhargava mentioned something about the rate of interest, and said that the Tatas are being given loans free of interest for five years, or something like that. I think he had made a very bad comparison, and thereby weakened his case. The loan that is given to the Tatas is really their money. A portion of the profit they would have usually earned is taken away by Government and put in a fund, and that money is given back to them as loan, and Government realise that loan again from them. There cannot be any comparison between that loan and the loan that is being given to the refugees through this Administration.

Sardar Hukam Singh mentioned his own personal case, that he applied for a certain loan for a transport business. I think it was right on the part of the Administration,—and it was better for himself also—that the loan was not given. He is now better rehabilitated and in a much better occupation. I do not know where that business would have transported him. At least now, he has been safely transported to this House and to some law courts also. So, on that score, he should thank the Rehabilitation Finance Administration that that loan has not been given to him.

Acharya Kripalani (Bhagalpur *cum* Purnea): What about asking his caste?

Shri A. C. Guha: I think I have nothing more to say. Before concluding I again thank the hon. Members who have taken such a keen interest in the working of this Administration. I should also point out, in conclusion, that this Administration has been doing good service, and that the dark and gloomy side that has been painted here is not the real picture of this Administration. There may be some dark spots, but it has a shining surface also, to which this House should not be blind.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

SEA CUSTOMS (AMENDMENT) BILL

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta North-East): Before the hon. Minister moves for the consideration of this measure, may I point out one matter? We are asked to allow drawback on imported materials used in the manufacture of goods which are exported. We do not know those materials on which the drawback is proposed to be permitted. The difficulty is that if we have not got that schedule, we cannot very usefully discuss this measure. And besides, if this is going to be an omnibus authorization to Government to do whatever they like, then that would be a modification of our tariff legislation, which should not be sought to be done by means of an amendment of the Sea Customs Act, as it stands today. That being so, I find very great difficulty in participating in a discussion of this legislation, because we have not got those materials, which to my mind, are absolutely necessary, if we are going to have anything like a fruitful discussion of this measure.

The Deputy Minister of Finance (Shri A. C. Guha): I cannot understand what schedule.....

Mr. Deputy-Speaker: He may speak and then reply to the point that has been raised.

Shri A. C. Guha: I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Sea Customs Act, 1878, be taken into consideration."